

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे  
सदस्य

निगरानी प्र० क० 2059—दो/2013 विरुद्ध आदेश दिनांक 21—03—13  
पारित तहसीलदार, सागर प्रकरण क्रमांक 03/अ—70/2010—11.

गिरवरसिंह पिता चरनसिंह यादव  
निवासी किशनपुरा, तह० शाहगढ़  
जिला सागर, म०प्र०

— आवेदक

विरुद्ध

अमान सींग तनय किशोर सींग यादव  
निवासी किशनपुरा, तह० शाहगढ़  
जिला सागर, म०प्र०

— अनावेदक

श्री महेन्द्र कुमार मिश्रा, अभिभाषक – आवेदक

आदेश

(आज दिनांक २५.७.2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार, सागर के प्रकरण क्रमांक 03/अ—70/2010—11 में पारित आदेश दिनांक 21—03—13 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक अमानसींग द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अपने आदेश दिनांक 29—07—11

व्दारा ग्राम किशनपुरा की आराजी ख0न० 34 रकबा 0.35 पर अनावेदक/आवेदक गिरवरसिंह व्दारा जबरन कब्जा कर उड़द की फसल बोने से संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत बेदखल कर कब्जा आवेदक/अनावेदक अमानसींग को दिये जाने के आदेश दिये। तहसीलदार व्दारा आवेदक को पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया, किन्तु उसके व्दारा सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश पेश नहीं करने से तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 21—3—13 व्दारा आवेदक गिरवरसिंह को बेदखल कर कब्जा अनावेदक अमानसींग को दिये जाने के आदेश दिये हैं। इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी आवेदक व्दारा राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।


3/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा आवेदक के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक व्दारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 के निर्णय के विरुद्ध मान. जिला न्यायाधीश, सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है। आवेदक व्दारा तहसीलदार के समक्ष व्यवहार न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, किन्तु इन पर विचार किये बिना प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल करने के आदेश देने में तहसीलदार व्दारा त्रुटि की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक की ओर से प्रकरण की सुनवायी के समय कोई उपस्थित नहीं हुआ, किन्तु प्रकरण में सुनवायी के पश्चात अनावेदक अभिभाषक व्दारा आवेदनपत्र के साथ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 व्दारा व्य.प्र.क. 30—ए/2011 निर्णय दिनांक 18—12—12 की सत्यप्रतिलिपि की छाया प्रति प्रस्तुत कर निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया है।

5/ तहसील न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अपने आदेश दिनांक 29—07—11 व्दारा ग्राम

किशनपुरा की आराजी ख0नं० 34 रकबा 0.35 पर आवेदक गिरवरसिंह व्हारा जबरन कब्जा किये जाने से संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत बेदखल कर कब्जा अनावेदक अमानसींग को दिये जाने के आदेश दिये। इस आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर सक्षम न्यायालय से आवेदक व्हारा स्थगन आदेश प्राप्त कर तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करने का कोई प्रमाण तहसील न्यायालय के अभिलेख में नहीं है और ना ही आवेदक व्हारा राजस्व मण्डल में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। आवेदक गिरवरसिंह यादव व्हारा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बण्डा जिला सागर के समक्ष व्य.प्र.क. 30-ए/2011 प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व घोषणा एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसे व्यवहार न्यायाधीश ने अपने निर्णय दिनांक 18-2-12 व्हारा खारिज किया गया है। आवेदक व्हारा व्यवहार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करना बताया गया है, किन्तु जिला न्यायाधीश व्हारा अपील में उसके पक्ष में स्थगन दिये जाने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी दशा में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अनाधिकृत कब्जा होने से उसे प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल कर कब्जा अनावेदक को दिये जाने के आदेश देने में तहसीलदार व्हारा कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं की गयी है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। तहसीलदार का आदेश दिनांक 21-03-13 यथावत रखा जाता है।



(अशोक शिवहरे)  
सदस्य,  
राजस्व मण्डल, म0प्र0